न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :- 82 / 2020 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 19-08-2020 श्री गोपाल जांगिड (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी लालसोट

1. धन्नालाल पुत्र हाबू जाति माली निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम्

1. बद्रीलाल } पि0 हाबू
2. रामसहाय
3. जगदीश } पि0 महादेव
4. गिर्राज

} समस्त जाति माली निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

5. नजमा पत्नी बाबू खां जाति मुसलमान निवासी अजनोली तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डिडवाना तहसील लालसोट
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

निर्णय

दिनांक : 22/2/2021

संक्षिप्त मे इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी धन्नालाल द्वारा वाद पत्र तकास्मा दिनांक 08-08-20 को न्यायालय के समक्ष पेश किया कि आराजी खसरा नं0 612 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 679 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 680 रकबा 9 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में वैधानिक तकास्मा नही हुआ है। परन्तु पक्षकारान ने मौके पर बाहमी बटवारा करके उक्त भूमि में काश्त करते आ रहे है। तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर बोते खाते आ रहे है तथा सभी खातेदारान द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर लाखो रूपये लगाकर सुधार कार्य करवाया है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

इस वाद पत्र में वादी ने दिनांक 10–08– 20 को वाद कारण पैदा होना बताया है। तथा मुख्य अनुतोष में वादी ने उक्त आराजीयात की मौके अनुसार कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने की प्रार्थना की है। इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। वाद पत्र के समर्थन मे प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर विभाजन किये जाने की सहमति प्रदान की। तदुपरान्त प्रकरण मे दिनांक 16–10–20 को प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार लालसोट द्वारा मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी कुर्रेजात 3–3 प्रतियो मे न्यायालय मे प्रस्तुत किये है। जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में बहस अंतिम वकील उभयपक्षकारान सूनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात का भी अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री जाकर तहसील लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात आराजी खसरा नं0 612 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 679 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 680 रकबा 9 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट वाली भूमि के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा बटा नम्बर अंकित किये जाकर मुताबिक कुर्रेजात पृथक– पृथक लगान का निर्धारण कर दिया जावे एवम् पक्षकारान बैंक ऋण प्राप्तकर्ता अपना अपना ऋण स्वंय वहन करेगें। तहसीलदार लालसोट को कुर्रेजात की एक प्रति इस निर्णय के साथ भिजवायी जावे। प्रकरण मे डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक २२/२/२१ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल आंगिड़)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज०